| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | शिवलाल विश्नोई **बनाम** लो.सू.अ.(अपर कलक्टर जोधपुर व अन्य ) सू.अ.अ. अपील संख्या 204 / 2020 | |
| 25.11.20 | अपीलार्थी शिवलाल विश्नोई, पता कालानी नगर, लोड़ता हरिदासोत पं.स. सेखाला जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.20..20 में उसके द्वारा (1) प्ररूप–5(नियम 29 देखिये) निर्वाचन चुनाव अभयर्थी कमांक 01 अशोक / कानाराम खरीगसर लोड़ता हरिदासोत दिनांक 09.01.2020 निर्धारित थी अभयथी का नामनिर्देशन पत्र एवं साथ में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( जिला निर्वाचन अधिकारी, कलक्टर जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने जरिये पत्रांक 953 दिनांक 10.07.2020 सूचित किया गया कि चाहा गया नामनिर्देशन पत्र एवं सलंग्न दस्तावेज निर्वाचन कार्यालय में जमा करवा दिये गये तथा अन्य सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय से संबंधित है, जिससे व्यक्ति होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपील अपीलार्थी ने व्यक्त किया कि उसके द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांक 162 दिनांक 20.02.2020 उपखण्ड अधिकारी बालेसर को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने अपने पत्र कमांक 953 दिनांक 10.07.2020 में अवगत कराया कि चाही गई सूचना नामनिर्देशन पत्र से संबंधित रिकॉर्ड जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवा दिया गया। अपील के साथ उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा दिये गये पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न की है।<br>लो.सू.अ..( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर .) से जरिये पत्रांक 1021 दिनांक 10.11.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी शिवलाल विश्नोई के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर उपखण्ड अधिकारी बालेसर से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर को कार्यालय के पत्रांक 162 दिनांक 20.02.2020 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध ... हेतु लिखा गया था तथा पत्र की प्रति प्रार्थी को भी ... लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट ... के आधार पर तैयार नहीं करना पाया गया अतः उनकी रिपोर्ट से हम<br>लगा... | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh In
Date: 2020.12.16 15:44:10 IST
Reason: SelfAttested

संतुष्ट नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड निर्वाचन कार्यालय या अन्य कार्यालय मे जमा हों, प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे । अन्य कार्यालय में जमा होने पर वहां से सूचना मंगवाकर प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signatur
Digitally si
Date: 202
Reason: S